न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 15/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/38

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
ग्राम पंचायत मेव, पंचायत समिति सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली जरीये संरपच घेवरराम पुत्र डुगाराम जाति बावरी निवासी बुटेलाव तहसील सोजत सिटी जिला पाली		1. डावरराम पुत्र स्वं. तुलसाराम 2. रखाराम पुत्र स्व. तुलसाराम जातिगण मेघवाल निवासी रामासनी सांदवान तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 11305 दिनांक 27.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड तलब किया गया, जिसके संबध में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त। अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थीगण के पिता तुलसाराम के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। पट्टाधारक का देहान्त हो जाने उनके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.12.1974 को अप्रार्थीगण के पिता को अनुसूचित जाति व जन जाति, श्रमिक तथा कारीगरो को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भुखण्ड आवंटित कर पट्टा संख्या 11305 जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई मिसल तथा प्रस्ताव अंकित नहीं है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थीगण के पिता को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जारी नहीं कर गोचर भूमि खसरा नम्बर 555 में जारी किया गया है। उक्त खसरे नम्बर की भूमि आज भी राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। अप्रार्थी के भाई को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था जिसमें अंकित पडौस वर्तमान में मौके पर नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गोचर भूमि का पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। श्रवणसुदा बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

संख्या 1 व 2 के पिता तुलसाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या 11305 दिनांक 27.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी भूखण्ड तुलसाराम को 150 वर्गगज क्षेत्रफल का अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रमिक व कारीगरों को आबादी भूमि के तहत निःशुल्क आवंटित किया गया था।

विकास अधिकारी सोजत की रिपोर्ट दिनांक 25.03.2019 के अनुसार ग्राम रामासनी सादंवान के खसरा नम्बर 488 गै.मु.आगौर, खसरा नम्बर 555, 834, 825, 770 गै.मु. गौचर में से अवैध अतिक्रमण झौपडे, कच्चे, छपरे व बाडों को दिनांक 16.03.2019 को हटा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार ''पक्के आवासीय मकानों को अतिशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की हिदायत दी गयी एवं पक्के मकानों के भी गोचर एवं प्रतिबंन्धित भूमि ओरण में स्थित होने से कभी भी अग्रिम आदेशानुसार हटाये जाने की हिदायत दी गयी।'' जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया तथा उक्त खसरे में बने विधिविरूद्ध पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली के संलग्न उपखण्ड अधिकारी सोजत की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2020 में अंकितानुसार ग्राम रामासनी सान्दवान में खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु.गोचर में कुछ व्यक्तियों द्वारा पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत की गई जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, श्रमिक व कारीगरों के आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1974 में भू-खण्डों के पट्टे आवंटित किये गये थे। जिसमें जैर निगरानी पट्टे के साथ-साथ 28 लोगो का अतिक्रमण है उनमे से 16 लोगो के पक्के निर्माण है, जिनमें से 5 लोगो के पास पट्टे है, 12 व्यक्तियों द्वारा कच्चे निर्माण व बाडे बना कर अतिक्रमण किया हुआ था जिनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत मेव की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 555 में जारी 5 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा जारी निःशुल्क पट्टे की सूची में क्रं.सं. 1 पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता तुलसाराम पुत्र नारायणलाल जाति मेघवाल निवासी रामासनी सादंवान का नाम अंकित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गैर मुमकिन गोचर भूमि में जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है।

ग्राम रामासनी सांदवान पटवार हल्का थरासनी तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के अनुसार खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु.गोचर है। राज. पंचायती राज नियम 1961 के नियम के अनुसार ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है लेकिन जैर निगरानी प्रकरण में ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गै.मु.गोचर की भूमि पर जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै.मु. गोचर है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता तुलसाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या 11305 दिनांक 27.12.1974 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली